न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :– 37/2026
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2026/86

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
नगर विकास न्यास बालोतरा जरिए तहसीलदार नगर विकास न्यास बालोतरा		राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1.प्रार्थी की ओर से तहसीलदार नगर विकास न्यास बालोतरा
2.विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार

:–आदेशः–

दिनांक 10.2.2026

1. संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मंडापुरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 207/983 रकबा 26 बीघा किस्म बा.दोयम भूमि वक्त सेटलमेंट सिवाय चक दर्ज दर्ज थी। तत्पश्चात उक्त भूमि में से पचपदरा–बाड़मेर सड़क(वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25) निकलने के कारण तीन भागो में विभक्त हुए। तत्पश्चात उक्त भूमि में से 1 बीघा भूमि नियमन,1 हैक्टयर भूमि मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड व शेष सम्पूर्ण भूमि नगर विकास न्यास बालोतरा को आवंटन हुए। जिसमें खसरा संख्या 1125/207 व 4360/1123 का मौका स्थिति के अनुरूप रिकॉर्ड में रकबा दर्ज नही होने के कारण प्रार्थी को विकास कार्ये करवाने में परेशानियो का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम मंडापुरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1125/207 क्षेत्रफल 1.4670 हैक्टयर के स्थान पर 0.8538 हैक्टयर व खसरा संख्या 4360/1123 क्षेत्रफल 2.7939 हैक्टयर के स्थान पर 3.4071 हैक्टयर दुरूस्ती करवाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है।
2. प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी की ओर से जवाब पेश किया गया,जो शामिल पत्रावली है।
3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने आवेदन पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि ग्राम मंडापुरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 207/983

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

रकबा 26 बीघा किस्म बा.दोयम भूमि वक्त सेटलमेंट सिवाय चक दर्ज दर्ज थी। तत्पश्चात उक्त भूमि में से पचपदरा–बाड़मेर सड़क(वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25) निकलने के कारण तीन भागो में विभक्त हुए। तत्पश्चात उक्त भूमि में से 1 बीघा भूमि नियमन,1 हैक्टयर भूमि मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड व शेष सम्पूर्ण भूमि नगर विकास न्यास बालोतरा को आवंटन हुए। खसरा संख्या 1125/207 व 4360/1123 प्रार्थी के खाते में दर्ज है। खसरा संख्या 4360/1123 भूमि को विकसित करने के उद्वदेश्य से मौके का सर्वे करवाए पर पाया कि उक्त भूमि में खसरा संख्या 1124/207 सड़क की तरमीम वर्तमान मौके से भिन्न होने के कारण सड़क के दोनो ओर खसरा संख्या 207/983 के अवशेष रकबा में अंतर है,मौका अनुसार खसरा संख्या 1125/207 का क्षेत्रफल 0.8538 हैक्टयर व ख्सरा संख्या 4360/1123 का क्षेत्रफल 3.4071 हैक्टयर है,जबकि रिकॉर्ड में खसरा संख्या 1125/207 का क्षेत्रफल 1.4670 हैक्टयर व खसरा संख्या 4360/1123 का क्षेत्रफल 2.7939 है। इस कारण मौके व रिकॉर्ड में भिन्नता के कारण नगर विकास न्यास को विकास कार्ये करवाने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जबकि विप्रार्थी ने भी अपने जवाब में स्वीकार किया है कि विवादित भूमि की मौका स्थिति अनुरूप रकबा दुरूस्ती किए जाने पर एकरूपता आ जाऐगी। अतं प्रार्थी का आवेदन माफिक अनुतोष स्वीकार किया जावे।

4. विप्रार्थी की ओर से बहस में निवेदन किया कि जवाब के अनुरूप प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किए जाने पर आपति नही है।

5. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि विवादित भूमि ग्राम मंडापुरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1125/207 क्षेत्रफल 1.4670 हैक्टयर व खसरा संख्या 4360/1123 क्षेत्रफल 2.7939 हैक्टयर भूमि नगर विकास न्यास बालोतरा हिस्सा–पूर्ण आरक्षित भूमि के खाते में दर्ज है,जो कि पत्रावली के संलग्न जमाबंदी अवलोकन से स्पष्ट है। प्रार्थी का मुख्य उजर है कि विवादित भूमि खसरा संख्या 1125/207 व 4360/1123 का मौका स्थिति के अनुरूप जमाबंदी में रकबा अंकन नही है,जो मौका स्थिति के अनुसार रेकर्ड दुरूस्त किया जावे। जिसकी ताईद विप्रार्थी तहसीलदार पचपदरा ने अपने जवाब में स्वीकार किया है कि विवादित भूमि का मौका स्थिति के अनुरूप रिकॉर्ड में रकबा अंकन नही है। दोनो खसरान के रकबा कमी/वृद्वि किए जाने पर किसी पक्षकार का कोई हित प्रभावित नही होता है तथा न ही कुल क्षेत्रफल में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तथा दोनो ही खसरान नगर विकास न्यास बालोतरा के खाते में दर्ज है। न्यायालय हाजा का भी अभिमत है कि

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

विवादित खसरान की रकबा दुरूस्ती किए जाने से मौका एवं रिकॉर्ड स्थिति में एकरूपता आऐगी तथा विवाद का भी निस्तारण हो जावेगा। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का आवेदन—पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम—मंडापुरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1125/207 क्षेत्रफल 1.4670 हैक्टयर के स्थान पर 0.8538 हैक्टयर व खसरा संख्या 4360/1123 क्षेत्रफल 2.7939 हैक्टयर के स्थान पर 3.4071 हैक्टयर दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि तदनुसार रेकर्ड मे अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावे।

(अशोक कुमार) 10/02/2026
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

आदेश आज दिनांक 10.02.2026 को सर—ए—इजलास सुनाया गया।

10/02/2026
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.)बालोतरा